

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-09/2022  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्री नन्हकु बैठा—विक्रेता

प्रति

श्रीमती राधिका भारती—क्रेता

**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री नन्हकु बैठा, पिता-स्व० सुग्रीम बैठा, ग्राम-चन्दनी, पोस्ट-खरौंधी, थाना-खरौंधी, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती राधिका भारती, पति-श्री संजय राम, ग्राम-खरौंधी, पोस्ट-खरौंधी, थाना-खरौंधी, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, खरौंधी से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, खरौंधी के पत्रांक 274/दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के धोबी (अनूसुचित जाति) एवं क्रेता जाति के चमार (अनूसुचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अंचल अधिकारी, खरौंधी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री नन्हकु बैठा, पिता-स्व० सुग्रीम बैठा, ग्राम-चन्दनी, पोस्ट-खरौंधी, थाना-खरौंधी, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती राधिका भारती, पति-श्री संजय राम, ग्राम-खरौंधी, पोस्ट-खरौंधी, थाना-खरौंधी, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
खरौंधी	09	पुराना-252 नया-667	पुराना-630 नया-4329/ 5126	0.18 $\frac{3}{4}$	उ०-मोतीचन्द बैठा, द०-पक्की सड़क, पू०-विवेक कुमार रजक वगै० प०-अजय पासवान,
कुल रकबा:-				0.18 $\frac{3}{4}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा